

श्री गुरु राम राय (पी०जी०) कॉलेज, देहरादून (उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल—एक

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

महाविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास

श्री गुरु राम राय दरबार साहिब 350 वर्ष से अधिक प्राचीन धार्मिक व लोकोपकारी संगठन है जिसके लाखों अनुयायी भारत वर्ष के अलावा विदेशों में भी हैं। श्री गुरु राम राय दरबार साहिब की अधीनस्थ संस्था श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, झण्डा मोहल्ला, देहरादून, द्वारा भी श्री गुरु राम राय (पी०जी०) कालेज की स्थापना सन् 1960 में की गई थी।

श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, समाज के आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु कृत संकल्प और मानवोत्थान के कार्यों में प्रयासरत है। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन झण्डा मोहल्ला, देहरादून के अधीन देश में 122 से अधिक शिक्षा संस्थान जिनमें प्राथमिक विद्यालय, सेकेण्डरी और हायर सेकेण्डरी स्कूल, पब्लिक स्कूल, स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय बी०सी०ए०, बी०बी०ए०, बी०फार्म०, एम०सी०ए०, एम०बी०ए० और एम०फार्मा पाठ्यक्रमों सहित, संचालित किये जा रहे हैं। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के चेयरमैन श्री महाराज महन्त देवेन्द्र दास जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन मानव सेवा व समाज के आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए अर्पित किया है और इस कमजोर वर्ग को समाज की प्रथम पंक्ति में उन्नयन के लिए कृत संकल्प हैं। ब्रह्मलीन महन्त श्री इन्द्रेण चरण दास जी द्वारा उत्तराखण्ड ओर समीपवर्ती राज्यों के गरीब किन्तु मेधावी छात्रों का सांकेतिक व्यय पर शिक्षा प्राप्त करने का स्वप्न पूरा करने के ध्येय से श्री गुरु राम राय (पी० जी०) कालेज की स्थापना की थी। स्नातक स्तर पर फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषय के प्रारम्भ इस महाविद्यालय ने विगत वर्षों में आशातीत सफलता अर्जित की हैं। वर्तमान में स्नातकोत्तर स्तर पर सांइस फ़ैकल्टी में फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वॉटनी, जूलॉजी तथा जियोलाजी विषय पढ़ाये जा रहे हैं। आर्ट्स फ़ैकल्टी में स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, इकोनामिक्स, मैथमेटिक्स, इतिहास व राजनीति भास्त्र पाठ्यक्रम उपलब्ध है। महाविद्यालय ने वर्ष 2005

से कृषि संकाय भी प्रारम्भ कर दिया है और चार वर्षीय बी०एस०सी० एग्रीकल्चर व पाठ्यक्रम अनुभवी अध्यापकों की सहायता से पढ़ाया जा रहा है।

महाविद्यालय के पास एक केन्द्रीय पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है जो विभिन्न विषयों की 30,000 से अधिक पुस्तकों से सुसज्जित है।

श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन द्वारा पुस्तकालय के लिये एक अलग भवन का निर्माण कराया है,। आठ कमरों वाले इस नव निर्मित भवन में पुस्तकालय के अतिरिक्त प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम, आफिस रूम, दो लेक्चर रूम व पुरुष और महिला शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

महाविद्यालय का लक्ष्य (मिशन)

सन् 1952 में स्थापित श्री गुरु राम राय, एजुकेशन मिशन समाज के गरीब व्यक्तियों के भौक्षिक उत्थान के लिए समर्पित एक लोकोपकारी संस्था है। संस्था का लक्ष्य है कि न्यूनतम व्यय पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाय ताकि उत्तरांचल एवं अन्य प्रान्तों को इस संस्था के शिक्षा संस्थानों से शिक्षित व प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवायें मिल सकें और सबको—शिक्षा का विश्व—स्वप्न पूरा हो सके।

महाविद्यालय की दृष्टि (विजन)

- श्री गुरु राम राय (पी०जी०) कालेज को उत्तरी भारत के श्रेष्ठ महाविद्यालय व शिक्षा संस्थान के रूप में विकसित करना।
- देहरादून में एक उत्कृष्ट अकादमिक केन्द्र स्थापित करना।
- समाज के प्रत्येक वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।
- शिक्षा के क्षेत्र के राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करना।
- सबको शिक्षा के लक्ष्य—प्राप्ति की और निरन्तर अग्रसर रहना।

महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सूचनाएं।

1.	महाविद्यालय का नाम	:	श्री गुरु राम राय (पी0जी0)कालेज, देहरादून।
2.	स्थापना की तिथि वर्ष	:	1960
3.	राजाज्ञा सं0 एवं दिनांक	:	—
4.	दूरभाष संख्या (कोड सहित)	:	
	(अ) कार्यालय	:	0135-2624881
	(ब) आवास	:	0135-2645028
	(स) फ़ैक्स सं0	:	0135-2624881
5.	पिन कोड संख्या	:	248001
6.	विकास खण्ड का नाम	:	रायपुर
	विकास खण्ड से दूरी	:	3 कि0मी0
7.	तहसील का नाम	:	देहरादून
	तहसील से दूरी	:	3 कि0मी0
8.	जिला का नाम	:	देहरादून
	मुख्यालय से दूरी	:	3 कि0मी0
9.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	:	लक्ष्मण चौक
10.	समुद्र तल से ऊंचाई	:	636.96 मीटर
11.	स्थापना के समय स्वीकृत विशय एवं पदों की संख्या	:	स्नातक स्तर में रसायन भौतिक तथा गणित प्राचार्य 01 शिक्षक रसायन 05 भौतिक 05 गणित 05 शिक्षणेत्तर 17
12.	स्थापना के बाद स्वीकृत विशय	:	---
	स्नातक विज्ञान संकाय	:	वनस्पति, भूगर्भ तथा जन्तु विज्ञान
	कला संकाय	:	हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थ शास्त्र, इतिहास, समाज शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र
	स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय	:	रसायन, भौतिक तथा गणित
	कला संकाय	:	अर्थशास्त्र तथा अंग्रेजी
13.	विशय जिनमें स्थायी सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है (राजाज्ञा संख्या का उल्लेख करें)	:	
	(1) स्नातक स्तर	:	राजाज्ञा सं0
	(अ) भौतिक, रसायन तथा गणित	:	एफ/4832 दिनांक 07.10.62 आगरा वि विद्यालय
	(ब) वनस्पति, जन्तु तथा भूगर्भ	:	एफ/4913 दिनांक 13.02.1986 आगरा वि विद्यालय

	(स) हिन्दी, अंग्रेजी अर्थ शास्त्र, समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र तथा इतिहास	:	एफ/35/2549 दिनांक 17.08.71 मेरठ विश्वविद्यालय
	(2) स्नातकोत्तर स्तर—		
	(अ) रसायन, भौतिक, गणित	:	एफ/4913 दिनांक 19.02.1966 आगरा विश्वविद्यालय
	(ब) अर्थ शास्त्र, अंग्रेजी	:	ई/9670 दिनांक 03.12.88 गढ़वाल विश्वविद्यालय
14.	विषय जिनमें अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त हुई (राजाज्ञा स० एवं सम्बद्धता की अवधि)	:	
	(1) स्नातक : (बी०एस०सी० कृषि) तथा भूगोल, सांख्यिकी तथा रक्षा अध्ययन		जी०एस०/(13)/सम्ब०/2005 दिनांक 30.5.05 (दिनांक 30.6.2008 तक)
	(2) स्नातकोत्तर : हिन्दी, इतिहास, राज० शास्त्र तथा वनस्पति वि०, जन्तु वि० तथा भूगर्भ वि०		जी०एस०/(13)/सम्ब०/2005 दिनांक 30 जुलाई 2005 (दिनांक 30.6.08)
	(3) पत्रकारिता		मान्यता /8124 दिनांक 22.6.06 (2006-07)
	(4) पर्यटन		मान्यता /8124 दिनांक 22.6.06 (2006-07)
	(5) बी०एड०		
	(6) महाविद्यालय की भूमि भवन से सम्बन्धित सूचनायें		
	(1) महाविद्यालय के पास भूमि उपलब्ध है या नहीं	:	उपलब्ध है।
	(2) यदि भूमि उपलब्ध है तो माप एकड़ में	:	10 एकड़
	(3) यदि भूमि उपलब्ध नहीं है तो शासन को कोई प्रस्ताव प्रेषित है अथवा नहीं	:	लागू नहीं
	(4) प्रस्ताव प्रेषित होने की स्थिति में विवरण तथा भूमि प्राप्त के लिये क्या प्रयास किया जा रहा है	:	नहीं
	(5)(क) खेल का मैदान है अथवा नहीं	:	है।
	(ख) यदि है तो पूर्ण विवरण दें	:	
	(1) मैदान का माप	:	1— 195' X 138' 2— 484' X 153' 3— 393' X 243'
	(2) बाउण्ड्री है/नहीं है	:	है
	(3) खेल से सम्बन्धित सुविधायें उपलब्ध है	:	हाँ
	6 महाविद्यालयों में उपलब्ध भवनों का विवरण	:	

क्र०स०	भवन निजी है किराये या/किसी संस्था/ विभाग द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराया गया है।	यदि निजी है तो स्थायी अथवा अस्थायी टिन ग्रेड आदि	भवन/कक्षों के नाम पृथक-पृथक लिखे जाने	कक्षों की संख्या	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
	भवन निजी है	भवन स्थायी है	(अ)मुख्य भवन हाल कक्ष कक्ष	01 10 18	
			(ब) कार्यालय प्राचार्य कक्ष कक्ष भन्दार कक्ष शौचालय	01 06 01 05	
			पुस्कालय भवन		
		(4)	1. वाचनालय 2. कक्ष 3. स्टाफ रूम 4. स्टोर 5. स्नानघर 6. भौचालय	01 02 01 01 02 02	हॉल हॉल
			प्रयोगशाला कक्ष		
		(3)	(1) रसायन/भौतिक कक्ष	01	
			(2) रसायन भौतिक कक्ष	06	
			(3) रसायन भौतिक कक्ष	02	
			(4) भौतिक कार्यशाला	01	
		(4)	प्राचार्य निवास		
			(1) ड्राइंग कक्ष	01	
			(2) कक्ष	02	
			(3) रसोई	01	
			(4) स्टोर	01	
			(5) स्नानघर	01	
			(6) शौचालय	01	

6. प्राचार्य/शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद

क्र०स०	पदनाम	सृजित पद सं०	स्थायी अस्थायी	अभ्युक्ति
--------	-------	--------------	----------------	-----------

1	प्राचार्य	01	स्थायी	—
2	प्रवक्ता रसायन	03	स्थायी	—
3	प्रवक्ता रसायन	01	स्थायी	—
4	प्रवक्ता रसायन	01	स्थायी	—
5	प्रवक्ता रसायन	01	स्थायी	—
6	प्रवक्ता रसायन	01	स्थायी	—
7	प्रवक्ता रसायन	01	स्थायी	—
8	प्रवक्ता रसायन	01	स्थायी	नवसृजित पद
9	प्रवक्ता रसायन	01	स्थायी	—
10	प्रवक्ता भौतिक	04	स्थायी	—
11	प्रवक्ता भौतिक	01	स्थायी	—
12	प्रवक्ता भौतिक	01	स्थायी	नवसृजित पद
13	प्रवक्ता भौतिक	01	स्थायी	—
14	प्रवक्ता गणित	01	स्थायी	—
15	प्रवक्ता गणित	01	स्थायी	—
16	प्रवक्ता गणित	01	स्थायी	—
17	प्रवक्ता गणित	01	स्थायी	—
18	प्रवक्ता गणित	01	स्थायी	—
19	प्रवक्ता जन्तु विज्ञान	01	स्थायी	—
20	प्रवक्ता जन्तु विज्ञान	01	स्थायी	—
21	प्रवक्ता जन्तु विज्ञान	01	स्थायी	नव सृजित पद
22	प्रवक्ता वनस्पति	01	स्थायी	नव सृजित पद
23	प्रवक्ता वनस्पति	01	स्थायी	—
24	प्रवक्ता वनस्पति	01	स्थायी	—
25	प्रवक्ता भूगर्भ	01	स्थायी	—
26	प्रवक्ता भूगर्भ	01	स्थायी	—
27	प्रवक्ता अंग्रेजी	01	स्थायी	—
28	प्रवक्ता अंग्रेजी	01	स्थायी	—
29	प्रवक्ता अंग्रेजी	01	स्थायी	—
30	प्रवक्ता अर्थशास्त्र	01	स्थायी	—
31	प्रवक्ता अर्थशास्त्र	01	स्थायी	—
32	प्रवक्ता अर्थशास्त्र	01	स्थायी	—
33	प्रवक्ता समाज शास्त्र	01	स्थायी	—
34	प्रवक्ता राजनीति शास्त्र	01	स्थायी	—
35	प्रवक्ता हिन्दी	01	स्थायी	—
36	प्रवक्ता इतिहास	01	स्थायी	—

शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग

1	कार्यालय अध्यक्ष	01	स्थायी	—
2	सहायक लेखाकार	01	स्थायी	—
3	आशुलिपिक	01	स्थायी	—
4	नै०लिपिक	01	स्थायी	—
5	नै०लिपिक	01	स्थायी	—
6	नै०लिपिक	01	स्थायी	—
7	नै०लिपिक	01	स्थायी	—
8	नै०लिपिक	01	स्थायी	—
9	पुस्कालय अध्यक्ष	01	स्थायी	—
10	कैटेलांगर	01	स्थायी	—

11	व0लैब सहा0 भौतिक	01	स्थायी	—
12	व0 लैब सहा0 जन्तु	01	स्थायी	—
13	लैब सहायक भूगर्भ विज्ञान	01	स्थायी	—
14	लैब सहायक वनस्पति वि0	01	स्थायी	—
15	लैब सहा0 रसायन	01	स्थायी	—
16	लैब सहा0 रसायन	01	स्थायी	—
17	लैब सहा0 रसायन	01	स्थायी	—
18	विद्युतकार	01	स्थायी	—
19	गैसमैन	01	स्थायी	—
20	लैब परिचर भूगर्भ विज्ञान	01	स्थायी	—
21	लैब परिचर रसायन	01	स्थायी	—
22	लैब परिचर भौतिक	01	स्थायी	—
23	लैब परिचर वनस्पति	01	स्थायी	—
24	एनिमल कैचर	01	स्थायी	—
25	सफाईकार	01	स्थायी	—
26	सफाईकार	01	स्थायी	—
27	चौकीदार	01	स्थायी	—
28	माली	01	स्थायी	—
29	माली	01	स्थायी	—
30	चपरासी	01	स्थायी	—
31	अर्दली	01	स्थायी	—
32	पुस्तकालय परिचर	01	स्थायी	—
33	पुस्तकालय परिचर	01	स्थायी	—
34	पुस्तकालय परिचर	01	स्थायी	—
35	दफ्तरी	01	स्थायी	—
36	चपरासी	01	स्थायी	—
37	चपरासी	01	स्थायी	—
38	चपरासी	01	स्थायी	—
39	लैब परिचर रसायन	01	स्थायी	—
40	लैब परिचर भौतिक	01	स्थायी	—
41	लैब परिचर रसायन	01	स्थायी	—

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून (उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल-दो

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

प्राचार्य की शक्तियां

श्री गुरुराम पी0जी0 कालेज देहरादून के समस्त शिक्षण और शिक्षणोत्तर कार्य प्राचार्य के नियन्त्रण में हे0न0ब0गु0 गढवाल विश्वविद्यालय व उत्तराखण्ड शासन के दिशा निर्देशों और श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की देख-रेख में संचालित होते हैं। शिक्षण कार्य से सम्बन्धित अपनी शक्तियों को कॉलेज के प्रवक्ताओं को प्रतिनिधानित करने के लिए भी प्राचार्य सक्षम है।

कॉलेज के शिक्षण कार्य से सम्बन्धित समस्त वित्तीय शक्तियां भी प्राचार्य में ही निहित हैं।

महाविद्यालय परिसर में छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने का उत्तरदायित्व प्राचार्य का है और विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश व विश्व विद्यालय की परिनियमावली और विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अनुशासनहीनता आदि के आरोपी छात्रों के दण्डित करने का अधिकार भी प्राचार्य में निहित है।

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून (उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल-तीन

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

महाविद्यालय द्वारा पालन किए जाने वाले नियम

महाविद्यालय में छात्रों के प्रवेश आदि से सम्बन्धित नियमों का मैनुअल-चार में उल्लेख किया गया है।

महाविद्यालय के प्राचार्य शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में हे0न0ब0 गढ़वाल विश्व विद्यालय की परिनियमावली के निम्न परिनियमों में उल्लिखित नियम व प्रक्रिया का महाविद्यालय द्वारा पालन किया जाता है :-

परिनियम	नियम
16.12 से 16.22	अध्यापकों के लिए छुट्टी सम्बन्धी नियम
17.01 से 17.19	सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों की सेवा शर्तें
18.10 से 18.16	सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों और अध्यापकों की सेवा शर्तें
21.01 से 21.16	सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की अर्हता व अन्य सेवा सम्बन्धी शर्तें
21-क-01	महाविद्यालय के मृत कर्मचारियों के आश्रितों का सेवायोजन

सम्बद्ध महाविद्यालयों में (प्राचार्य से भिन्न) अध्यापक के साथ करार का प्रपत्र व उपरोक्त परिनियमों की छायाप्रतियां इस मैनुवल पाच के साथ संलग्न है।

वित्तीय नियम

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज हे0न0ब0 गढ़वाल विश्व विद्यालय से सम्बद्ध है। महाविद्यालय द्वारा उन सभी वित्तीय नियमों का पालन किया जाता है जो राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय व सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिये निर्धारित है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 60 सी के अधीन उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को महाविद्यालय के लेखों व अन्य अभिलेखों (रिकार्ड्स) के निरीक्षण करने और महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र को आवश्यक दिशा निर्देश देने का अधिकार है।

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज,

देहरादून, (उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल—चार

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

मापमान

महाविद्यालय द्वारा छात्रों की सुविधा और जानकारी के लिये प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में प्रोसपैक्ट्स प्रकाशित किया जाता है जिसमें महाविद्यालय के प्रवेश भुल्क और उपलब्ध पाठ्यक्रमों आदि के विषय में जानकारी दी जाती है। वर्ष 2007-08 के शैक्षणिक सत्र के लिये प्रकाशित प्रोसपैक्ट्स में निम्न सूचना प्रकाशित की गई थी—

आवश्यक सूचना/सामान्य नियम

1. महाविद्यालय का शैक्षिक सत्र 2007-08 दिनांक 02.07.2007 से प्रारम्भ होगा। प्रवेश आवेदन पत्र दिनांक 15 जून 2007 से कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. बी0ए0/बी0एस0सी0 तथा एम0एस0सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2007 होगी। अन्य कक्षाओं में अंक तालिका प्राप्ति के बीस दिन के अन्दर समस्त उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश लेना अनिवार्य है, अन्यथा विलम्ब शुल्क के साथ ही प्रवेश दिया जाना सम्भव होगा।
3. वि0वि0 द्वारा निर्गत शैक्षिक कैलेन्डर के अनुसार 31 जुलाई 2007 के पश्चात प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
4. प्रवेश के समय आवेदक अपने साथ अंक तालिकायें, पिता/अभिभावक की आय का प्रमाण पत्र, यदि वह आर्थिक सहायता प्राप्त करने का इच्छुक है, पासपोर्ट साइज की तीन फोटो, चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0)/प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टीफिकेट) की मूल प्रति अवश्य लायें।
5. सभी कक्षाओं में प्रवेश शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाता है। शासनादेश के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था मान्य है।

6. सभी विद्यार्थियों को अपना वाहन साईकिलस्टैंड टेकेदार की देखरेख में ताला लगाकर रखना अनिवार्य है। वाहन शुल्क जमा कराते समय रसीद पर वाहन का नम्बर लिखना आवश्यक है।
7. सामान्यतया विद्यार्थी प्राचार्य महोदय से प्रातः 10.30 से 12.00 के मध्य तथा सायं 3.30 से 4.00 के मध्य मिल सकते हैं।
8. आवेदन-पत्र अग्रसारित कराने तथा प्रमाण पत्र सत्यापन आदि कराने हेतु प्राचार्य महोदय के हस्ताक्षर के लिये कार्यालय अधीक्षक के पास 12.00 बजे तक जमा करा दें तथा दोपहर 2.00 से वापस ले सकते हैं।
9. छात्रों को अपनी कठिनाइयां शिक्षकों को बतानी चाहिए। अनुशासनात्मक मामलों की रिपोर्ट चीफ प्रोक्टर से करें।
10. विश्वविद्यालय परीक्षा सम्बन्धी तथा ऐसे अन्य मामलों की जानकारी व सहायता डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर से प्राप्त करनी चाहिए।
11. विद्यार्थियों के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि महाविद्यालय में अनुशासित आचरण सुनिश्चित करें। यह भी नितान्त आवश्यक है कि वे अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनकी कक्षा उपस्थिति कम न हो जाय। उपस्थिति कम होने पर वे वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने से रोके जा सकते हैं।
12. प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को वार्षिक शुल्क एवं छः माह का शिक्षण तथा परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा तथा अवशेष छः माह का शिक्षण शुल्क आगामी जनवरी माह में जमा कराना होगा।
13. प्रथम शुल्क की रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए क्योंकि प्रतिभूति धन(सिक्योरिटी) वापस लेते समय इसे तत्सम्बन्धी आवेदन-पत्र के साथ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। प्रथम शुल्क की रसीद के अभाव में प्रतिभूति धनराशि की वापसी सम्भव न होगी।
14. महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर छात्र/छात्राओं के लिये राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0), राष्ट्रीय कैंडेट कोर (एन.सी.सी.) रेन्जर्स/रोवर्स/की सदस्यता प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी अपने प्रवेश आवेदन पत्र के साथ एन0एस0एस0/एन0सी0सी0 का आवेदन भी संलग्न करें तथा सम्बन्धित टीचर इंचार्ज से सम्पर्क करें।
15. महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं की रैगिंग पूर्णतया निषिद्ध तथा संज्ञेय अपराध है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था

उत्तराखण्ड शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप इस महाविद्यालय में विगत सत्र 2004-05 से परियोजना "शिखर" नामक व्यवसायिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से महाविद्यालय के छात्रों के लिए अपनी सामान्य उपाधि के साथ-साथ वैकल्पिक रूप से व्यवसायिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है, ताकि छात्रों को सुगमता एवं सुलभता से रोजगार उपलब्ध हो सके। यह कम्प्यूटर प्रशिक्षण DOEACC के "B" Level (एम0सी0ए0) के समकक्ष एवं छात्रों के लिये ऐच्छिक (Optional) होगा। इसका निर्धारित शुल्क प्रतिमाह 350/- रुपये मात्र है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी हेतु कोआर्डिनेटर प्रोजेक्ट "शिखर" श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कालेज से सम्पर्क करें।

COURSES of STUDY

1. Arts Faculty

B.A. Three year Degree Course

B.A. I,II and III

A student will select any three of the following subjects -

English Literature, Hindi Literature, History, Economics, Political Science, Sociology, Mathematics, Statistics, Defence and Strategic Studies, Geography.

Optional: In addition, he/she can also study either General English or General Hindi as one of the General Courses, First paper of which will have to be cleared in B.A. I and second paper in B.A. II.

Compulsory: Paper of Environment Studies will be compulsory for all students of B.A. II.

If the number of Student in any subject is less than 10, no teaching arrangement will be possible and the students will have to take alternate subject in its place.

M.A. English

Previous - 4 Compulsory papers

Final - 2 Compulsory and 3 Optional papers, and Viva Voce

M.A. Economics

Previous - 3 Compulsory and 1 Optional (Econometrics) papers

Final - 3 Compulsory and 1 Optional papers, Dissertation and Viva Voce.

M.A. Hindi (Self Fin.)

Previous - 4 Compulsory papers

Final - 4 Compulsory papers and Viva Voce

M.A. History (Self Fin.)

Previous - 4 Compulsory papers

Final - 4 Compulsory papers and Viva Voce

M.A. Political Science (Self Fin.)

Previous - 4 Compulsory papers

Final - 4 Compulsory papers and Viva Voce.

M. S. W (Self Fin.) 4 Semesters (2 Yrs Course)

3 Compulsory

2 Optional

2. Science Faculty

B.Sc. Part I, II and III

A student will select one of the following subject combinations -

- (i) Chemistry, Physics and Mathematics (CPM)
- (ii) Chemistry, Botany and Zoology (CBZ)
- (iii) Chemistry, Botany and Geology (CBG)
- (iv) Physics, Mathematics and Geology (PMG)
- (v) Chemistry, Geology and Zoology (CGZ)
- (vi) Zoology, Botany and Geology (ZBG)
- (vii) Physics, Mathematics and Statistic (PMS)
- (viii) Physics, Mathematics, Defence and Strategic Studies (PMD)
- (ix) Physics, Mathematics and Geography (PMGe)
- (x) Botany, Zoology and Defence and Strategic Studies (BZD)

Optional - Students can also either General Hindi or General English as one of the General Courses, First paper of which will have to be cleared in B.Sc. paper in B.Sc. II.

Compulsory - Paper of Environmental Studies will be compulsory for all students of B.Sc. II.

Note - Intermediate with Geology is not required for studying it as one of the subjects in B.Sc. I

M.Sc. Chemistry

Previous - 5 Compulsory papers.

Final - 6 papers

M.Sc. Physics

Previous - 6 Compulsory papers

Final - 4 Compulsory and 2 Optional papers.

M.Sc. Mathematics

Previous - 4 Compulsory and 1 Optional papers

Final - 3 Compulsory and 1 Optional paper and Viva Voca

M.Sc. Zoology (Self Fin.)

Previous - 6 Compulsory papers

Final - 5 Compulsory and 1 Optional paper

M.Sc. Botany (Self Fin.)

Previous - 6 Compulsory papers.

Final - 6 Compulsory papers

M.Sc. Geology (Self Fin.)

Previous - 5 Compulsory papers

Final - 4 Compulsory and 1 optional paper

M.Sc. Microbiology (Self Finance)

4 Semester -3 Compulsory Papers

1 Optional

2 Practical

M.Sc. Biotechnology (Self Finance)

4 Semester- 3 Compulsory Papers

1 Optional

2 Practical

Innovative Programmes

(a) Foundation Course in English (Subject to availability of staff)

(For B.Sc. Part I students only)

The B.Sc. Part I students who have passed Intermediate examination in Hindi medium can join Foundation Course in English writing and conversation. The concerned class will be held on Sundays for 3 hours. The course will be spaced over 5-6 Sundays

(b) Preparatory classes for competitive examinations :

Classes to help the students to prepare for competitive exams and for entrance to professional courses are proposed to be started.

Note :

1. As per university notification M.Sc. students shall be allowed to appear in only those optional papers which are taught in the collage.
2. Applications for casual admissions of those who are eligible to appear as ex-students will be considered only if seats are available.
3. Separate application form for each subject must be submitted for being considered for admission to more than one subject.

Professional Courses :

1. Agriculture Faculty

B.Sc. Agriculture (4 years programme) Candidates who have passed Intermediate (10+2) or equivalent exam with Maths/Biology/ Agriculture/Forestry group are eligible for admission to B.Sc. Agriculture.

Note : Paper of Environmental Studies will be compulsory for all students of B.Sc. II (Agriculture). Environmental Studies course will be co-ordinated by the Department of Geology.

2. Faculty of Education

B.Ed. (one year programme) - 100 seats

3. P.G. Diploma in Mass Communication (one year programme) - 30 seats
4. P.G. Diploma in Tourism & Hoteliering (One year programme) - 30 seats

ADMISSION RULES AND PROCEDURE

Admission to B.A. Part I/B.Sc. Agriculture Part-I shall be given on the basis of marks obtained in the qualifying examinations. Admission to PGD Mass Communication and PGD Tourism and Hoteliering shall be given on the basis of marks obtained in graduation.

Note: Students who have secured less than 45% marks in Intermediate examination will not be considered for admission to B.Sc. Part I and those securing below 40% marks will not be considered for admission to B.A.-Part I.

Application for admission, complete in all respect, should accompany the following :

1. Character Certificate from Principal of the Institution last attended.
2. Attested copies of mark-sheet of the examinations passed.
3. T.C. from the Institute last attended.
4. Attested copy of High School Certificate
5. Two spare copies of passport size photographs.
6. No objection of the employer in case of candidates engaged in any job.

Note :

- (i) Students seeking admission shall have to present himself/herself before the admission Committee concerned for interview alongwith all their original certificates and mark sheets.
- (ii) They must submit Migration certificate with in one month form the date of admission if earlier enrolled in some other University.

Admission-in-charge

1. B.A. I, II & III
1. Dr. (Mrs.) Madhu D. Singh (Examination Office)
2. Dr. (Mrs.) Aruna Mittal
3. Shri Vijay Rawat
4. Mr. M.S.Gusain
3. B.Sc. part I, II & III
with Biotechnology/MicroBiology
(CBZ, CBG, CGZ, ZBG, BZD groups)
1. Shri Ram Naresh (Chemistry Deptt.)
2. Dr. Atul Gupta
4. B.Sc. Part I, II & III
(CPM, PMG, PMS, PMD, PMGe, EMD groups)
1. Dr. R.P. Bhardwaj (Physics Deptt.)
2.2.Dr. Dinesh Singh
3. Dr. S.K. Dabral
4. Shri Pradeep Singh

5. BSC. –CBZ.

With Biotechnology/MicroBiology (Self Finance)

1. Sh.Ram Naresh
 2. Dr. Seema Saxena
 3. Ms Kumud Badoni
 4. Dr. Poonam Sharma
6. M.Sc./M.A. Repective Heads of Respective Deptt.
(all subject)
 7. B.Sc. (Agri.) Smt. Anita Thapliyal (Faculty of Agri.)
 8. B.Ed. Dr. Bhopal Singh (Faculty of Education)
 9. P.G.D. Mass Shri Ashish Kulshrestha (Faculty of Mass
Communication Communication)
 10. P.G.D. Tourism Shri Ravi Bahuguna (Faculty of Tourism
& Hoteliering)

The admission of a student can be cancelled at any time during the session in case it is detected that he/she has given incorrect information or concealed certain facts.

11. M.S.W.-(Master of Social Works)—2 Yrs.

1. Mrs. Nandita Thaplial
2. Dr. S.C.Pachauri

शुल्क तथा उसका भुगतान

1. विद्यार्थी को शुल्क का भुगतान तालिका नं० II के अनुसार करना होगा।
2. शुल्क 12 माह का देय होगा, प्रवेश चाहे जब भी लिया जाये।
3. शुल्क निर्धारित तिथि पर प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक लिया जायेगा।
4. निर्धारित तिथि पर भुगतान न करने पर दूसरी निर्धारित तिथि को 10 रू० (Late Payment Fine) जुर्माना देय होगा। दूसरी तिथि पर शुल्क जमा न करने पर नाम काट दिया जायेगा। नाम कट जाने पर विद्यार्थी सम्पूर्ण देय शुल्क 10 रू० जुर्माना तथा 8.00 रू० पुनः प्रवेश शुल्क का भुगतान करने पर दुबारा दाखिला प्राप्त कर सकेगा। जितने दिन नाम कटा रहेगा कक्षा-उपस्थिति के लिए विद्यार्थी को स्वयं भुगतान की रसीद अपनी कक्षा से सम्बन्धित अध्यापकों को दिखाकर उपस्थिति रजिस्टर में दुबारा नाम लिखना होगा।
5. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भुगतान की प्रत्येक रसीद संभाल कर रखें।

6. Science Breakage तथा लाईब्रेरी का जुर्माना विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रवेश-पत्र प्राप्त करने से पूर्व जमा करना होगा।
7. एक बार जमा हुई फीस वापस नहीं की जायेगी।
8. 31 दिसम्बर से पूर्व कालेज छोड़ने पर दिसम्बर तक का कॉलेज शुल्क देय होगा।
स्ववित्त पोषित कोर्स का शुल्क वापस नहीं होगा।
दिसम्बर के बाद कॉलेज छोड़ने पर जून तक का कालेज शुल्क देय होगा।

सिक्वोरिटी की वापसी

सिक्वोरिटी वापस लेने के लिए कालेज छोड़ने के वर्ष के अक्टूबर माह तक आवेदन करना होगा। इसके बाद का आवेदन मान्य नहीं होगा। इस आवेदन के साथ मूल रूप में सिक्वोरिटी जमा करने की फीस-रसीद का संलग्न होना नितान्त आवश्यक है अन्यथा आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी तथा उसका उत्तरदायित्व कॉलेज पर नहीं होगा।

आवेदन पत्र कालेज में आ जाने के बाद, सिक्वोरिटी का पैसा 10 प्रतिशत व्यय-भार काट कर, डाक द्वारा अगले वर्ष की 30 जून तक भेजा जायेगा। 30 जून तक इस सम्बन्ध में कोई पूछताछ न की जाये। छात्र द्वारा जमा की गई सिक्वोरिटी की धनराशि उसके उत्तीर्ण होने के तीन वर्ष तक ही देय होगी।

पुस्तकालय

पुस्तकालय में 30000 से अधिक पुस्तकें हैं तथा इसका कार्यान्वयन तीन प्रभागों में होता है:-

1. सामान्य वितरण प्रभाग (General Lending Section) से विद्यार्थी अधिकतम 14 दिन के लिए एक पुस्तक प्राप्त कर सकता है। विलम्ब के लिए 10रु0 प्रतिदिन दण्ड की राशि भुगतान करने पर पुनः पुस्तकें दी जायेगी।
2. विद्यार्थियों को पुस्तकें विश्वविद्यालय परीक्षा से पहले जमा करना नितान्त आवश्यक है। तत्पश्चात् ही उन्हें विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किये जायेंगे।
3. यदि विद्यार्थी के पास से पुस्तक खो जाये या क्षतिग्रस्त हो जाये, तो विद्यार्थी को उसकी पूर्ति पुस्तक के नवीनतम संस्करण के मूल्य के रूप में करनी होगी।

समय

- (क) पुस्तक वितरण 8.00 बजे से 1.00 बजे तक
- (ख) वाचनालय का समय 8.00 बजे से 2.00 बजे तक

पुस्तकालय/वाचनालय सम्बन्धी सामान्य नियम

1. वाचनालय में प्रवेश से पूर्व परिचय पत्र दिखाना नितान्त आवश्यक है तथा बातचीत करना सख्त मना है।
2. वाचनालय से पुस्तकें या पत्रिकाएं घर ले जाने की अनुमति नहीं है।
3. वाचनालय (Reading Room) में परिचय-पत्र जमा करने पर पुस्तक या पत्रिका वहीं बैठकर पढ़ने के लिये प्राप्त हो सकेंगी।
4. नियमित छात्र-छात्राओं द्वारा परिचय-पत्र (I.Card) प्रस्तुत किए जाने पर पुस्तकालय कार्ड (Library Card) दिया जायेगा। पुस्तकालय कार्ड खो जाने पर 20 रूपये देने पर ही पुनः प्राप्त हो सकेगा।
5. पुस्तक लेते समय छात्र-छात्राओं को देख लेना चाहिए कि पुस्तकें कहीं से फटी न हो। ऐसी स्थिति में पुस्तकालयाध्यक्ष को दिखाकर हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए अन्यथा लेने वाले ही उत्तरदायी होंगे।
6. पुस्तक की अधिक मांग न होने पर दूसरे दिन पुस्तकें पुनः प्राप्त हो सकेंगी।
7. किसी पुस्तक या पत्रिका का पृष्ठ फाड़ने वाले छात्र-छात्राओं को पुस्तकालय सुविधा के उपयोग से वंचित कर दिया जायेगा।
8. पुस्तक लौटने की तिथि को यदि महाविद्यालय बन्द हो तो खुलते ही पुस्तकें तुरन्त लौटा देनी चाहिए अन्यथा जिन दिनों वह बन्द रहा है उसका भी दण्ड देना होगा।
9. महाविद्यालय व पुस्तकालय परिसर में धूम्रपान सर्वथा वर्जित है।

अनुशासन समिति और परिचय पत्र

महाविद्यालय परिसर में अनुशासन बनाये रखने हेतु अध्यापकों की एक अनुशासन समिति होगी। जिसके संयोजक चीफ प्राक्टर होंगे। यह समिति प्राचार्य को महाविद्यालय के छात्रों के सम्बन्ध में अनुशासनिक अधिकार का प्रयोग करने में सहायता देगी और अनुशासन के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगी जो उसे प्राचार्य द्वारा इस निमित्त सौंपे जायें।

प्रत्येक विद्यार्थी के लिए महाविद्यालय परिसर में अपना परिचय पत्र अपने पास रखना अनिवार्य है। अनुशासन समिति के सदस्यों अथवा अन्य प्राध्यापकों द्वारा परिचय पत्र मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी। परिचय पत्र खो जाने पर निर्धारित शुल्क तथा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही पुनः निर्गत किया जा सकता है।

चिकित्सा सहायता

1. महाविद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा सहायता की सुविधा उपलब्ध है।
2. श्री महाराज जी द्वारा शिक्षण संस्थाओं के अध्ययनरत् विद्यार्थियों को श्री महन्त इन्द्रेश हॉस्पिटल, पटेल नगर देहरादून में दवा एवं डिस्पोजेबल को छोड़कर शेष चिकित्सा व्यय पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति दी है।

Railway Concession Forms

1. जो संस्थागत छात्र-छात्रा अध्ययनार्थ महाविद्यालय में प्रतिदिन रेल से आते हैं वह अपने घर के पते के साथ-साथ आवेदन पत्र में गतव्य स्थान का रेलवे स्टेशन अवश्य लिखें। रियायती पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र में अपना नाम, कक्षा, पिता का नाम, जन्म दिनांक तथा रेलवे स्टेशन सहित घर का पता अवश्य लिखें तथा घर का राशन कार्ड प्रस्तुत करें ताकि इसकी सत्यता प्रमाणित की जा सकें।

त्रैमासिक रियायती पत्र/(Q.S.T.) हेतु कार्यालय द्वारा निर्गत प्रपत्र में दिनांक संशोधन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। उपरोक्त हेतु आवेदन करने के तीन दिन पश्चात् छात्र तत्काल इसे प्राप्त कर ले, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् ही इसे पुनः निर्गत किया जा सकेगा।

अन्य प्रदेश के छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक वर्ष में केवल दो बार ही रियायती पत्र देय है।

स्थानान्तरण, चरित्र प्रमाण पत्र

स्थानान्तरण अथवा चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सभी प्रविष्टियां पूर्णतः सही भरकर कार्यालय में शुल्क जमा करने के उपरान्त प्रस्तुत कर दें। महाविद्यालय की समस्त परीक्षाओं की अंक तालिक की एक-2 फोटो प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन के तीन दिन के उपरान्त वांछित प्रमाण पत्र निर्गत किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र में छात्र पंजीकरण-इन्डेक्स नं0 डालना आवश्यक है।

कक्षा उपस्थिति

विद्यार्थियों की प्रत्येक विषय में कुल लेक्चर्स (थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग-अलग) की 75 प्रतिशत उपस्थिति (न्यूनतम 40 प्रतिशत प्रतिमाह) अनिवार्य है। उपस्थिति कम होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

75 प्रतिशत उपस्थिति की पूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थियों की है। विद्यार्थियों को प्रत्येक माह प्रत्येक विषय में उपस्थिति जानने के लिए शिक्षकों से सम्पर्क करना चाहिए।

प्रत्येक वर्ष में उपस्थिति की गिनती कॉलेज खुलने की तिथि से होगी, प्रवेश कभी भी लिया गया हो।

महाविद्यालय प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त क्लास व सेक्शन विद्यार्थी के शुल्क रसीद पर दे दिया जाएगा। उसे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसका नाम सब विषयों के उपस्थिति रजिस्टर में आ गया है और उसे उपस्थिति के लिए पुकारा जाता है। यदि किसी भी कक्षा में विद्यार्थी का नाम नहीं पुकारा जाता है तो उस विद्यार्थी को विषय के प्राध्यापक से अपना नाम उपस्थिति रजिस्टर पर अंकित करा लेना चाहिए। अन्तिम रूप से, उपस्थिति रजिस्टर पर नाम अंकित कराने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी का ही है।

शुल्क मुक्ति तथा छात्रवृत्ति

योग्य, निर्धन व अच्छे खिलाड़ी विद्यार्थी को प्रतिवर्ष शुल्क मुक्ति की सुविधायें प्रदान की जाती हैं। इसके लिए आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर है।

शुल्क मुक्ति एव अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति ऐसे किसी विद्यार्थी को नहीं दी जाएगी, जो किसी पूर्व परीक्षा में अनुचित साधनों को प्रयोग करते हुये पाया गया है अथवा जिसे अनुशासन भंग के आरोप में दण्डित किया जा चुका है या चेतावनी दी जा चुकी है। यदि ऐसे किसी विद्यार्थी को छूट या सहायता मिल भी गई है तो उपर्युक्त तथ्य का ज्ञान होने पर वह समाप्त कर दी जायेगी।

एन0सी0सी0 कैडेट्स के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्तियां प्रदान किये जाने का प्रावधान है :-

1.	सहारा ग्रुप छात्रवृत्ति	15000 /- से 45000 /-	(वार्षिक)
2.	कैडेट वेलफेयर सोसाइटी छात्रवृत्ति	5000 /-	(वार्षिक)
	(अ) यूनिट स्तर पर	100 /-	(मासिक)
	(ब) ग्रुप स्तर पर	200 /-	(मासिक)

अरविन्द बन्धु स्मृति ज्ञान ज्योति पुरस्कार

M.A. English (Final) में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रू0 1000/— की राशि पुरस्कार के रूप में दी जायेगी।

नोट :- 1. विद्यार्थियों को शुल्क मुक्ति अथवा किसी प्रकार की छात्रवृत्ति उनके द्वारा नियमित रूप से 75 प्रतिशत की निर्धारित कक्षा-उपस्थिति सुनिश्चित होने पर ही प्रदान की जायेगी।

2. SC/ST/OBC हेतु शासन द्वारा अनुमन्य छात्रवृत्ति-योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां महाविद्यालय में उपलब्ध हैं।

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून (उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल-पाँच

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका व अभिलेख

महाविद्यालय द्वारा धारित व प्रयोग किये जाने वाले नियम

श्री गुरुराम (पी0जी0) कॉलेज द्वारा कार्य संचालन हेतु नियम, विनियम व अनुदेशों का उपयोग किया जा रहा है-

1. श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की नियमावली।
 2. हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय की परिनियमावली।
 3. महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालय / राज्य सरकार / कुलाधिपति द्वारा स्वीकृत मान्यता सम्बन्धी आदेश।
 4. उत्तराखण्ड (उ0प्र0) विश्व विद्यालय अधिनियम 1973
- महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित छाया प्रतियां पाइस मैनुअल के साथ संलग्न की जा रही है।

निम्न अभिलेखों की छाया प्रतियां इस मैनुवल के साथ संलग्न की जा रही है-

1. श्री गुरुराम राय एजुकेशन मिशन की नियमावली और पंजीकरण प्रमाण पत्र।
2. हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली।
3. सीधी भर्ती के लिए आरक्षण नीति लागू करने सम्बन्धी, सचिव कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त शासनादेश संख्या 1454/कार्मिक-2/2001 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 31 अगस्त 2001
4. विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालय को यू0जी0सी0 एक्ट की धारा-2 (एफ) एवं 12 (बी) के अधीन मान्यता सम्बन्धी पत्रांक-एफ-1-2/200 पर (सी.पी. पी.-1) दिनांक 28 फरवरी 2007

5. कुलाधिपति सचिवालय से/स्वविन्त प्रेषित योजना के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम के लिए अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश संख्या 2650/जी0स0/बी0एड0/सम्बद्धता/2007 दिनांक 28 जनवरी 2008।
6. श्री गुरुराम राय (पी.जी.) कालेज देहरादून का स्नातकोत्तर (विज्ञान) के अन्तर्गत प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान, स्नातकोत्तर (कला संकाय), हिन्दी, इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं स्नातक स्तर (कला संकाय) भूगोल, रक्षा अध्ययन, सांख्यिकी, बी0एस0सी0 कृषि विषयों में मान्यता सम्बन्धी पत्र दिनांक 7 जून 2006।
7. कुल सचिव हे0न0ब0 गढ़वाल विश्व विद्यालय द्वारा पी0जी0 डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्युनिकेशन तथा पी0जी0 डिप्लोमा इन टूरिज्म स्वीकृत किये जाने निशयक पत्र दिनांक 22.06.2006।
8. कुलाधिपति/श्री राज्य पाल उ0प्र0 के विशेष सचिव का पत्र संख्या ई-9670/जी0एस0 लखनऊ दिनांक 3 दिसम्बर 1981 जिसके द्वारा श्री गुरुराम राय (पी0जी0) कॉलेज को 1 जुलाई 1981 से एम0ए0 एवं अर्थशास्त्र विषयों में सच्चाई मान्यता प्रदान की गई है।
9. एम0एस0सी0 स्तर पर फिजिक्स कैमेस्ट्री और मैथमोटिक्स विषय एवं स्नातक स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा समाजशास्त्र विषयों में कुलाधिपति उ0प्र0 के पत्र संख्या 1915/जी0एस0 दिनांक 15.05.1971 के क्रम में स्थाई मान्यता प्रदान करने सम्बन्धित कुल सचिव मेरठ विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र संख्या ए0एफ-53 (2) 2549 मेरठ दिनांक 17.08.1971
10. कुलाधिपति उ0प्र0 द्वारा स्नातकोत्तर पर बी0एस0सी0 भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, और अंक गणित में स्थाई मान्यता प्रदान करने की सूचना विषयक कुल सचिव आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र संख्या-मान्यता/4832/दिनांक 23 अ0 1962।

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून (उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल-छः

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके धारित दस्तावेज नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण

धारित दस्तावेज

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज कार्यालय में धारित पत्रावलियों/पत्रिकाओं का विवरण निम्नवत् है -

क्र0सं0	पत्रावली / पंजिका	विषय	संख्या
1.	पंजिका	शुल्क	06
2.	पंजिका	छात्रवृत्ति	01
3.	पंजिका	अनुरक्षण खाता	01
4.	पंजिका	यू0जी0सी0	01
5.	पंजिका	रा0से0यो0	01
6.	पंजिका	वेतन	01
7.	पंजिका	उपस्थिति	02
8.	पंजिका	भण्डार	01
9.	पंजिका	स्टाफ पुस्तक वितरण	01
1	पंजिका	छात्र पुस्तक विवरण	08
0.			
1	पंजिका	पुस्तक भण्डार पंजिका (Stock Register)	03
1.			
1	पंजिका	समाचार पत्र/पत्रिका पंजिका	01
2.			
1	पंजिका	छात्र रजिस्टर (Scholar Register)	16
3.			
1	पुस्तिका	सेवापुस्तिका शिक्षक	29
4.			
1	पुस्तिका	सेवापुस्तिका शिक्षणेत्तर	37

1 6.	पासबुक	जी0पी0एफ0 पासबुक	44
1 7.	पासबुक	पेंशन अंशदान योजना पासबुक	20
1 8.	पंजिका	आकस्मिक व्यय	01
1 9.	पंजिका	डाक रजिस्टर	01
2 0.	पंजिका	अवकाश रजिस्टर	02
2 1.	पत्रावली	पेंशन / जी0पी0एफ0 / सामुहिक बीमा / स्वैच्छिक परिवार कल्याण / छात्रवृत्ति / यू0जी0सी0 / विश्वविद्यालय / निदेशालय नियुक्ति पत्रावली / विभागीय प्रमाण-पत्र / छात्र प्रमाण-पत्र / अनुमोदन / अनुज्ञा / विषयों की सम्बद्धता पत्रावली / रा0से0यो0 / सूचना का अधिकार / वेतन इत्यादि	48

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून (उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल-सात

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

व्यवस्था की विशिष्टियां जो संस्था की नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।

संस्था की संरचना

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कालेज का प्रबन्धन श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन द्वारा किया जा रहा है। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, झण्डा मौहल्ला, देहरादून सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन पंजीकृत स्वैच्छिक व परोपकारी संस्था है। इस संस्था की कार्यकारिणी के मा0 अध्यक्ष व सदस्यगण निम्न है।

क्र0सं0	नाम	पद
1	श्री महन्त देवेन्द्र दास जी, सजदा नसीन दरबार श्री गुरुराम जी महाराज, झण्डा मौहल्ला, देहरादून	प्रबन्धक
2.	श्री आर.एस.नेगी 20/3 भण्डारी बाग, देहरादून	अध्यक्ष
3.	श्री एम.सी. डोभाल 44/11 बसन्त विहार, देहरादून	उपाध्यक्ष
4.	श्री द नि लाल 19-1-1 राजपुर रोड, देहरादून	सदस्य
5.	श्री शादीराम झण्डा मौहल्ला, देहरादून	सदस्य
6.	श्री आर.पी. ध्यानी एच0एन0बी0 मार्ग कोटद्वार गढवाल	सदस्य
7.	डा0 अनन्त कुमार बहुगुणा सेवानिवृत्त, एस.जी.आर.आर. (पी0जी0) कालेज, देहरादून	सदस्य

8.	श्री मनोज कुमार भट्ट 88 विकास मार्ग, पौडी गढ़वाल	
----	---	--

उपरोक्त प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन (पंजीकरण संख्या 323 वर्ष 1952, 1753, 1756, 2005) की नियमावली और हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा उत्तराखण्ड शासन के दिशा निर्देशानुसार श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कालेज देहरादून का प्रबन्ध एवं संचालन किया जा रहा है।

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून (उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल—आठ

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इसके बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण।

छात्र संगठन का चुनाव

महाविद्यालय द्वारा लिंगदोह कमेटी और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हे0न0ब0 गढवाल विश्वविद्यालय द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार छात्र संगठन का चुनाव कराया जाता है।

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून (उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल-नौ

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

श्रीगुरु राम राय (पी0जी0) कालेज देहरादून में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का विवरण निम्नप्रकार है -

क्र0सं0	नाम	पद	कार्यरत स्थान
1.	डा0 वी0ए0 बौडाई	प्राचार्य	श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कालेज देहरादून
2.	डा0 ए0के0 गुप्ता	रीडर रसायन	तदैव
3.	डा0 आर0पी0 सेमवाल	तदैव	तदैव
4.	डा0 एस0के0 डबराल	प्रवक्ता रसायन	तदैव
5.	डा0 राके । ढोंडियाल	प्रवक्ता रसायन	तदैव
6.	डा0 दिनेश सिंह	तदैव	तदैव
7.	डा0 आर0पी0 भारद्वाज	तदैव	तदैव
8.	डा0 श्रीमती दीपाली सिंघल	प्रवक्ता रसायन	तदैव
9.	डा0 ए0के0 गुप्ता	प्रध्यापक भौतिक	तदैव
10.	डा0 सुशील कुमार	रीडर जन्तु वि0	तदैव
11.	श्री राम नरेश	प्रवक्ता वनस्पति वि.	तदैव
12.	डा0 सीमा श्रीवास्तव	तदैव	तदैव
13.	श्री प्रदीप सिंह	प्रवक्ता भूगर्भ वि.	तदैव
14.	डा0 यू0सी0 मैनाली	तदैव	तदैव
15.	डा0 श्रीमती मधु डी0 सिंह	रीडर अंग्रेजी	तदैव
16.	डा0 श्रीमती अरुणा रानी मित्तल	प्रवक्ता राज0शास्त्र	तदैव
17.	डा0 हर्षवद्वन पन्त	तदैव	तदैव
18.	डा0सुमंगल सिंह	प्रवक्ता, हिन्दी	तदैव
19.	डा0 श्रीमती पूनम भार्मा	प्रवक्ता, वन0	तदैव
20.	डा0 राजबहादुर	प्रवक्ता, अर्थ0	तदैव
21.	श्री विजय रावत	तदैव	तदैव
22.	डा0 सन्दीप नेगी	प्रवक्ता, रसा0	तदैव
23.	श्री मनोज बलोनी	प्रवक्ता, भौ0	तदैव
24.	डा0संजयकुमार पडलिया	प्रवक्ता, गणित	तदैव

25.	डा0अनुभव प्रताप सिंह	प्रवक्ता, गणित	तदैव
26.	श्री मेहरबान सिंह गुसाईं	प्रवक्ता, इतिहास	तदैव
27.	डा0मनोज कुमार पुरोहित	प्रवक्ता, जन्तु0	तदैव
28.	डा0ज्योति ममगाईं	प्रवक्ता, अंग्रेजी	तदैव
29.	बु0 अनिता कुमारी	प्रवक्ता, भौतिक	तदैव
30.	डा0अनुराधा वर्मा	प्रवक्ता, समा0 ा0	तदैव
31.	डा0हरी ा चन्द्र	प्रवक्ता, रसायन	तदैव
32.	श्री श्रीजी.एस.नेगी	कार्यालय अधीक्षक	तदैव
33.	श्री आर. ध्यानी	सहायक लेखाकार	तदैव
34.	श्री बी0एस0 बिष्ट	आशुलिपिक	तदैव
35.	श्री एस0पी0 थपलियाल	पुस्तकालय लिपिक	तदैव
36.	श्री पी0के0 बहुगुणा	नै0 लिपिक	तदैव
37.	श्री सी0पी0 थपलियाल	तदैव	तदैव
38.	श्री जितेन्द्र कुकरेती	तदैव	तदैव
39.	श्री मदन सिंह नेगी	व0लै0सहा0 भौतिक वि0	तदैव
40.	श्री जी0डी0 बडोनी	तदैव जन्तु विज्ञान	तदैव
41.	श्री दीपक शर्मा	लैब सहा0 भूगर्भ वि0	तदैव
42.	श्री चन्द्र शेखर	लैब सहायक वनस्पति वि0	तदैव
43.	श्री पी0एन0जोशी	लैब सहायक रसायन	तदैव
44.	श्रीमती गीता रतूडी	गैसमैन	तदैव
45.	श्री प्रेम चन्द पतारी	विद्युतकार	तदैव
46.	श्री पुष्करराज पतारी	जैसमैन	तदैव
47.	श्री गंगा सिंह	एनीमल कैचर जन्तु विज्ञान	तदैव
48.	श्री बट्टी प्रसाद	माली	तदैव
49.	श्री राम स्वरूप	माली	तदैव
50.	श्री मुकुन्द राम	चपरासी	तदैव
51.	श्रीमती लीलावती	अर्दली	तदैव
52.	श्री गुरुदेव कुकरेती	पुस्तकालय परिचर	तदैव
53.	श्री सोहन लाल चमोली	तदैव	तदैव
54.	श्री बीर सिंह	तदैव	तदैव
55.	श्री बृजपाल	सफाईकार	तदैव
56.	श्री भगवती प्रसाद	चपरासी	तदैव
57.	श्री भगवान सिंह	चपरासी	तदैव
58.	श्री शशि प्रकाश	लैब परिचर रसायन वि0	तदैव
59.	श्री जितेन्द्र कुमार	लैब परिचर भौतिक वि0	तदैव
60.	श्री श्याम सिंह	लैब परिचर भूगर्भ विज्ञान	तदैव

61.	श्रीमती मंजु देवी	सफाई कार	तदैव
62.	श्री लखपत सिंह	लैब परिचर रसायन	तदैव
63.	श्री भारत मोहन	लैब परिचर	तदैव
64.	श्री सोमपाल	चौकीदार	तदैव

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून (उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल-दस

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनिमयों के यथाउपबन्धित हो

मासिक पारिश्रमिक

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कालेज में शिक्षक व शिक्षणेत्तर संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से वेतन-भत्तों का भुगतान होता है। महाविद्यालय के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतनमान भी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत व संशोधित किया जाता है। वर्ष 2007-08 के अन्त में महाविद्यालय के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का मासिक वेतन निम्नानुसार था -

क्र0सं0	नाम	पद	वेतनमान (रु0)	मूल वेतन (रु0)
1.	डा0 वी0ए0 बौडाई	प्राचार्य	16400-22400	27300.00
2.	डा0 ए0के0 गुप्ता	रीडर रसायन	12000-18000	25560.00
3.	डा0 आर0पी0 सेमवाल	तदैव	12000-18000	249300.00
4.	डा0 एस0के0 डबराल	प्रवक्ता रसायन	12000-18000	24360.00
5.	डा0श्रीमती मधु डी0सिंह	रीडर अंग्रेजी	12000-18000	27450.00
6.	डा0 दिनेश सिंह	तदैव	12000-18000	27450.00
7.	डा0 आर0पी0 भारद्वाज	रीडर भौतिक	12000-18000	27450.00
8.	डा0अरुणा रानी मिततल	रीडर,राज0 IT	12000-18000	24300.00
9.	डा0 एस0के0 गुप्ता	तदैव	12000-18000	27450.00
10.	डा0 सुशील कुमार	रीडर जन्तुविज्ञान	12000-18000	27450.00
11.	श्री राम नरेश	प्रवक्ता वनस्पति विज्ञापन	12000-18000	27450.00
12.	डा0 सीमा सक्सैना	तदैव	12000-18000	21150.00
13.	श्री प्रदीप सिंह	प्रवक्ता भूगर्भ विज्ञान	12000-18000	22410.00
14.	डा0 यू0सी0 मैनाली	तदैव	12000-18000	23040.00

15.	डा०ज्योति ममगाई	प्रवक्ता, अंग्रेजी	12000—13500	12000.00
16.	डा० राके । ढोंडियाल	प्रवक्ता रसायन	8000 - 13500	12413.00
17.	डा० हर्शवद्वन पन्त	तदैव	8000 - 13500	12413.00
18.	डा०सुमंगल सिंह	प्रवक्ता, हिन्दी	8000 - 13500	12413.00
19.	डा० श्रीमती पूनम भार्मा	प्रवक्ता, वन०	8000 - 13500	12413.00
20.	डा० राजबहादुर	प्रवक्ता, अर्थ०	8000 - 13500	12413.00
21.	श्री विजय रावत	तदैव	8000 - 13500	12413.00
22.	डा० सन्दीप नेगी	प्रवक्ता, रसा०	8000 - 13500	12413.00
23.	श्री मनोज बलोनी	प्रवक्ता, भौ०	8000 - 13500	12413.00
24.	डा०संजयकुमार पडलिया	प्रवक्ता,गणित	8000 - 13500	12386.00
25.	डा०अनुभव प्रताप सिंह	प्रवक्ता, गणित	8000 - 13500	12386.00
26.	श्री मेहरबान सिंह गुसाई	प्रवक्ता, इतिहास	8000 - 13500	12386.00
27.	डा०मनोजकुमार पुरोहित	प्रवक्ता, जन्तु०	8000 - 13500	12293.00
28.	डा०ज्योति ममगाई	प्रवक्ता, अंग्रेजी	8000 - 13500	12000.00
29.	वु० अनिता कुमारी	प्रवक्ता, भौतिक	8000 - 13500	12000.00
30.	डा०अनुराधा वर्मा	प्रवक्ता,समा० ा०	8000 - 13500	12000.00
31.	डा०हरी । चन्द्र	प्रवक्ता,रसा	8000 - 13500	12000.00

शिक्षणोत्तर कर्मचारी वर्ग

1.	श्री जी०एस० नेगी	कार्या०अधीक्षक	4500—7000	6375.00
2.	श्री आर०पी० ध्यानी	सहायक लेखाकार	4500—7000	6125.00
3.	श्री बी०एस० बिष्ट	आशुलिपिक	5000—8000	6950.00
4.	श्री एस०पी० थपलियाल	पुस्तकालय लिपिक	4000—6000	4700.00
5.	श्री पी०के० बहुगुणा	नै० लिपिक	3050—4590	4500.00
6.	श्री सी०पी० थपलियाल	तदैव	3050—4590	3875.00
7.	श्री जितेन्द्र कुकरेती	तदैव	3050—4590	3800.00
8.	श्री आलम सिंह बिष्ट	तदैव	3050—4590	3050.00
9.	श्री कुंवर आशीष चौहान	कैटलागर	4500—7000	4500.00

10.	श्री मदन सिंह नगी	व0लै0सहा0 नैतिक विज्ञान	4500-7000	5750.00
11.	श्री जी0डी0 बडोनी	तदैव जन्तु विज्ञान	4500-7000	5250.00
12.	श्री दीपक शर्मा	लैब सहा0 भूगर्भ विज्ञान	4000-6000	4994.00
13.	श्री चन्द्र शेखर	लैब सहा0 वनस्पति	3050-4590	4030.00
14.	श्री पी0एन0 जो पी	लैब सहा0 रसायन	3050-4590	4030.00
15.	श्रीमती गीता रतूडी	तदैव	3050-4590	3650.00
16.	श्री प्रेमचन्द पतारी	विद्युतकार	2750-4450	3540.00
17.	श्री पुष्करराज पतारी	गैसमैन	2610-3540	3540.00
18.	श्री सुनील कुमार	लैब सहायक रसायन	3050-4590	3050.00
19.	श्री गंगा सिंह	एनीमल कैचर	2750-4400	3475.00
20.	श्री बट्टी प्रसाद	माली	2750-4000	3800.00
21.	श्री राम स्वरूप	दपतरी	2610-3450	3800.00
22.	श्री मुकुन्द राम	चपरासी	2550-3200	3540.00
23.	श्रीमती लीलावती	पुस्तकालय अर्द्धली	2610-3540	2900.00
24.	श्री गुरु देव कुकरेती	परिचर	2610-3540	3475.00
25.	श्री सोहन लाल अमोली	तदैव	2610-3540	3475.00
26.	श्री बीर सिंह	तदैव	2610-3540	3475.00
27.	श्री बृज पाल	सफाईकार	2550-3200	3540.00
28.	श्री भगवती प्रसाद	चपरासी	2550-3200	2780.00
29.	श्री भगवान सिंह	चपरासी	2550-3200	2780.00
30.	श्री शशि प्रसाद	लैब परिचर रसायन	2550-3200	2780.00
31.	श्री जितेन्द्र कुमार	लैबपरिचर भौतिक	2550-3200	2780.00
32.	श्री श्याम सिंह भूगर्भ	लैब परिचर विज्ञान	2550-3200	2780.00
33.	श्रीमती मंजू देवी	सफाईकार	2550-3200	2660.00
34.	श्री लखपत सिंह	लैब परिचर रसायन	2550-3200	2550.00
35.	श्री भारत मोहन	लैब परिचर	2550-3200	2550.00
36.	श्री सोमपाल	चौकीदार	2550-3200	

मूल वेतन के आधार पर देय महंगाई भत्तों एवं अन्य भत्तों का भुगतान उत्तराखण्ड शासन के नियमों के अनुसार किया जाता है।

अन्य प्रतिकर

शिक्षक व शिक्षणेंतर कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति सामान्य भविष्य निधि, बीमा, पेंशन एवं अन्य सुविधायें भी देय हैं।

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून (उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल-ग्यारह

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

महाविद्यालय की शुल्काय

महाविद्यालय में छात्रों से ली जाने वाली फीस का प्रतिछात्र मदवार विवरण निम्न है

:-

तालिका - 07 (क)

क्र0सं0	शुल्क का नाम	शुल्क दर प्रति छात्र माह/वर्ष
01	02	03
1.	शिक्षण शुल्क	12/- प्रति छात्र प्रतिमाह (स्नातक स्तर में स्नातक स्तर में)
2.	महंगाई	15/- प्रति छात्र प्रतिमाह
3.	प्रयोगशाला	20 /- प्रति छात्र प्रतिमाह
4.	वाचनालय	03/- प्रति छात्र प्रतिमाह
5.	चिकित्सा शुल्क	0.50/- प्रति छात्र प्रतिमाह
6.	प्रवेश शुल्क	08/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष
7.	पंजीकरण शुल्क (विज्ञान वर्ग से)	05/- प्रति छात्र प्रतिमाह
8.	क्रीडा शुल्क	60/- प्रति छात्र प्रतिमाह
9.	ग्रीष्म एवं शीत शुल्क	10/- प्रति छात्र प्रतिमाह
10.	पुस्तकालय	60/- प्रति छात्र प्रतिमाह
11.	छात्र सहायता फीस	02/- प्रति छात्र प्रतिमाह
12.	परिचय पत्र शुल्क	05/- प्रति छात्र प्रतिमाह
13.	छात्र कल्याण	02/- प्रति छात्र प्रतिमाह
14.	विकास शुल्क	50/- प्रति छात्र प्रतिमाह
15.	विज्ञान प्रतिभूति	80 /- प्रति छात्र प्रतिमाह (स्नातक स्तर) 100 /- प्रति छात्र प्रतिमाह (स्नातकोत्तर)

		स्तर)
16.	पुस्कालय प्रतिभूति	60/- प्रति छात्र प्रतिमाह (स्नातक स्तर) 100/- प्रति छात्र प्रतिमाह (स्नातकोत्तर स्तर)
17.	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क	610/- प्रति छात्र प्रतिमाह (स्नातक स्तर) 710/- प्रति छात्र प्रतिमाह (स्नातकोत्तर स्तर)
18.	नामांकन शुल्क (वि0वि0 शुल्क)	30/- प्रति छात्र प्रतिमाह
19.	रोबर्स एवं रेजर्स	12/- प्रति छात्र प्रतिमाह
20.	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	15/- प्रति छात्र प्रतिमाह
21.	उपाधि शुल्क	100/- प्रति छात्र प्रतिमाह (अन्तिम वर्ष के छात्र)
22.	पत्रिका	30/- प्रति छात्र प्रतिमाह
23.	भवन एवं फर्नीचर शुल्क	20/- प्रति छात्र प्रतिमाह
24.	पर्यावरण शुल्क	100/- प्रति छात्र प्रतिमाह

महाविद्यालय में वर्ष 2007.08 की शुल्काय का विवरण

क्र०सं०	कक्षा	शिक्षण शुल्क	प्रवेश शुल्क	टी०सी० शुल्क	मंहगाई शुल्क	दंड शुल्क	पंजीकरण	योग	वेतन संदाय खाते में जमा कुल शुल्काय
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1.	बी०ए०	39654.00	5104.00	40.00	140040.00	179734.00	157849.00
2.	बी०एस०सी०	37926.00	3792.00	71.00	106800.00	2395.00	150984.00	137149.00
3.	एम०ए०	7880.00	808.00	7.00	21120.00	29765.00	25228.00
4.	एम०एस०सी०	16830.00	1528.00	53.00	41640.00	1490.00	61541.00	53561.00
	योग	102240.00	11232.0	171.00	309600.00	3885.00	422024.00	373787.00
			0						

गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून
(उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल—बारह

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति
जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के
फायदाग्राहियों के व्यौरे भी सम्मिलित हैं

सूचना शून्य

सम्बन्धित नहीं

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून
(उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल-तेरह

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या
प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ

सूचना शून्य

सम्बन्धित नहीं

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून (उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल-चौदह

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में
व्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्व
ारा धारित हों

इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना

कार्यालय में कम्प्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। सूचनाएं कम्प्यूटर में भी संग्रहित की जा रही हैं ताकि सूचना मांगी जाने पर तत्काल सूचना उपलब्ध कराई जा सकें इसके आलावा महाविद्यालय की सूचनायें www.sgrrmission.com वैबसाइट पर उपलब्ध रहती हैं।

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून (उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल—पन्द्रह

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

पुस्तकालय व वाचनालय

श्री गुरु राम राय पी0जी0 कॉलेज देहरादून के पास कालेज परिसर में एक सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है जिसमें पत्रिकाओं के अलवा स्नातक व स्नातकोत्तर की निम्न मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध हैं :-

पुस्तकों का स्तर	पुस्तकों की संख्या	(मूल्य में)
स्नातक स्तर	14938 /—	कुल 2119442.00
स्नातकोत्तर स्तर	9149 /—	

पुस्तकालय

पुस्तकालय में 30000 से अधिक पुस्तकें हैं तथा इसका कार्यान्वयन तीन प्रभागों में होता है:-

1. सामान्य वितरण प्रभाग (General Lending Section) विद्यार्थी अधिकतम 14 दिन के लिए एक पुस्तक प्राप्त कर सकता है। विलम्ब के लिए 10रु0 प्रतिदिन दण्ड की राशि भुगतान करने पर पुनः पुस्तकें दी जायेगी।
2. विद्यार्थियों की पुस्तकें विश्वविद्यालय परीक्षा से पहले जमा करना नितान्त आवश्यक है। तत्पश्चात् ही उन्हें विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किये जायेंगे।

3. यदि विद्यार्थी के पास से पुस्तक खो जाय या क्षतिग्रस्त हो जायें, तो विद्यार्थी को उसकी पूर्ति पुस्तक के नवीनतम संस्करण के मूल्य के रूप में करनी होगी।

समय

- (क) पुस्तक वितरण 8.00 बजे से 1.00 बजे तक
(ख) वाचनालय 8.00 बजे से 2.00 बजे तक

पुस्तकालय/वाचनालय सम्बन्धी सामान्य नियम

1. वाचनालय में प्रवेश से पूर्व परिचय पत्र दिखाना नितान्त आवश्यक है तथा बातचीत करना सख्त मना है।
2. वाचनालय से पुस्तकें या पत्रिकाएं घर ले जाने की अनुमति नहीं है।
3. वाचनालय (Reading Room) में परिचय-पत्र जमा करने पर पुस्तक या पत्रिका वहीं बैठकर पढ़ने के लिये प्राप्त हो सकेंगी।
4. नियमित छात्र-छात्राओं द्वारा परिचय-पत्र (I.Card) प्रस्तुत किए जाने पर पुस्तकालय कार्ड (Library Card) दिया जायेगा। पुस्तकालय कार्ड खो जाने पर 20 रुपये देने पर ही पुनः प्राप्त हो सकेगा।
5. पुस्तक लेते समय छात्र-छात्राओं की देख लेना चाहिए कि पुस्तकें कहीं से फटी न हो। ऐसी स्थिति में पुस्तकालयाध्यक्ष को दिखाकर हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए अन्यथा लेने वाले ही उत्तरदायी होंगे।
6. पुस्तक की अधिक मांग न होने पर दूसरे दिन पुस्तकें पुनः प्राप्त हो सकेंगी।
7. किसी पुस्तक या पत्रिका का पृष्ठ फाड़ने वाले छात्र-छात्राओं को पुस्तकालय सुविधा के उपयोग से वंचित कर दिया जायेगा।
8. पुस्तक लौटने की तिथि को यदि महाविद्यालय बन्द हो तो खुलते ही पुस्तकें तुरन्त लौटा देनी चाहिए अन्यथा जिन दिनों वह बन्द रहा है उसका ही दण्ड देना होगा।
9. महाविद्यालय व पुस्तकालय परिसर में धूम्रपान सर्वथा वर्जित है।

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून
(उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल-सोलह

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और
अन्य विशिष्टियाँ

लोकसूचना अधिकारी

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कालेज देहरादून के लोक सूचना अधिकारी और
सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व दूरभाष संख्या निम्नवत् है :-

लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी
डा. वी.ए. बोड़ाई, प्राचार्य,	श्री राम नरेश, विभागाध्यक्ष,
श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कालेज देहरादून	वनस्पति विज्ञान विभाग श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कालेज देहरादून
दूरभाष - 0135-2624881, 9412992800	दूरभाष - 0135-2624881

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून
(उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल—सत्रह

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख)}

ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाये

वर्ष 2008—09 के लिये प्रकाशित प्रोस्पेक्ट्स इस मैनुवल के साथ संलग्न है।

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून
(उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4(1) (ख)}

मैनुवल – एक

से

मैनुवल – सत्रह

इस प्रकाशन के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी

शीर्षक— सूचना मैनुवल एक से मैनुवल सत्रह, श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्रकाशक— श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून (उत्तराखण्ड)
के निर्देभान में कम्प्यूटर पर टाइप।

प्राप्ति स्थान — लोक सूचना अधिकारी, श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून
(उत्तराखण्ड)।

मूल्य (भुलक) — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार।

**श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून
(उत्तराखण्ड)**

दूरभाश—0135—2624881, फ़ैक्स : 0135—2624881

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून (उत्तराखण्ड)

सूचना मैनुवल-एक से सत्रह

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4(1) (ख)}

विषय सूची

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ सं०
	प्रस्तावना	
	मैनुवल-एक	
1.	म्हाविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास	1
2.	म्हाविद्यालय का लक्ष्य (मि ान)	2
3.	म्हाविद्यालयकी दृशिट (विजन)	2
4.	म्हाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सूचना	3-6
5.	प्रचार्य व ि ाक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद	6-9
	मैनुअल-दो	
1.	प्राचार्य की की भाक्तियां	10
	मैनुवल-तीन	
1.	म्हाविद्यालय द्वारा पालन किये जाने वाले नियम	11
2.	वित्तीय नियम	12
	मैनुवल - चार	
1.	मापमान	13
2.	प्रवे ा सम्बन्धी आव यक सूचना व सामान्य नियम	13-15
3.	कम्प्यूटर प्रि ाक्षण की व्यवस्था	15
4.	Courses of Study	15-18
5.	Admission Rules & Procedure	18-20
6.	भुल्क तथा उसका भुगतान	20-21
7.	सिक्योरिटी की वापिसी	21
8.	पुस्तकालय	21-22
9.	अनुशासन समिति और परिचय पत्र	22-23
10.	चिकित्सा सहायता	23
11.	स्थानान्तरण, चरित्र प्रमाण पत्र	23-24

12	कक्षा उपस्थिति	24
13	शुल्क मुक्ति तथा छात्रवृत्ति	24-25
मैनुवल पाँच		
1.	महाविद्यालय द्वारा धारित व प्रयोग किये जाने वाले नियम	26-27
2.	श्री गुरुराम राय एजुके ान मि ान की नियमावली और पंजीकरण प्रमाण पत्र	28-43
3.	हे0न0ब0 गढ़वाल वि व विद्यालय की प्रथम परिनियमावली	44-101
4.	सीधी भर्ती के लिए आरक्षण नीति लागू करने सम्बन्धी कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड भासन से प्राप्त भासनादे ा संख्या 1454 / कार्मिक-2 / 2001 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 31 अगस्त 2001	102-104
5.	वि व विद्यालय अनुदान आयोग से महाविद्यालय को यू0जी0सी0 एक्ट की धारा-2 (एफ) एवं 12 (बी) के अधीन मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी पत्रांक-एक-1-2 / 200 पर (सी.पी.पी.-1) दिनांक 28 फरवरी 2007	105
6.	कुलाधिपति सचिवालय से स्ववित योजना के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम के लिए अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदे ा संख्या2650 / जी0स0 / बी0एड0 / सम्बद्धता / 2007 दिनांक 28 जरवरी 2008 ।	106-107
7.	श्री गुरुराम राय (पी.जी.) कालेज देहरादून का स्नातकोत्तर (विज्ञान) के अन्तर्गत प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान, स्नातकोत्तर (कला संकाय), हिन्दी, इतिहास, राजनीति	108-109

	भास्त्र एवं स्नातक स्तर (कला संकाय) भूगोल, रक्षा अध्ययन, सांख्यिकी बी०एस०सी० कृषि विशयों मे मान्यता सम्बन्धी पत्र दिनांक 7 जून 2006	
8.	कुल सचिव हे०न०ब० गढ़वाल वि व विद्यालय द्वारा पी०जी० डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्युनिके ान तथा पी०जी० डिप्लोमा इन टूरिज्म स्वीकृत किये जाने विशयक पत्र दिनांक 22.06.2006 ।	110-111
9.	कुलाधिपति/श्री राज्य पाल उ०प्र० के वि ेश सचिव का पत्र संख्या ई-9670/जी०एस० लखनऊ दिनांक 3 दिसम्बर 1981 जिसके द्वारा श्री गुरुराम राय (पी०जी०) कॉलेज को 1 जुलाई 1981 से एम०ए० एवं अर्थशास्त्र वि ायों में सच्चाई मान्यता प्रदान की गई है ।	112
10.	एम०एस०सी० स्तर पर फिजिक्स कैमेस्ट्री और मैथमेंटिक्स विशय एवं स्नातक स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास अर्थ ास्त्र, राजनीति भास्त्र तथा समाज ास्त्र विशयों में कुलाधिपति उ०प्र० के पत्र संख्या 1915/जी०सं० दिनांक 15.05.1971 के क्रम मे स्थाई मान्यता प्रदान करने सम्बन्धित कुल सचिव मेरठ विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र संख्या ए 0एफ-53 (ख) 12549 मेरठ दिनांक 17.08.1971	113-114
11.	कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उ०प्र० द्वारा स्नातक स्तर पर एस०सी० भौतिक ास्त्र, रसायन ास्त्र, और अंक गणित मे स्थाई मान्यता प्रदान करने की सुचना वि ायक कुल सचिव आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र	115

	संख्या-मान्यता / 4832 / दिनांक 23 अक्टू 1962	
मैनुवल – छः		
1.	धारित दस्तावेज	116–117
मैनुवल – सात		
	संस्था की संरचना	118–119
मैनुवल – आठ		
1.	छात्र संगठन चुनाव	120
1.	प्रचार्य, शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का विवरण	121–124
मैनुवल – दस		
1.	मसिक पारिश्रमिक	125–128
2.	अन्य प्रतिकर	128
मैनुवल – ग्यारह		
1.	महाविद्यालय की भुल्काय	129–130
2.	वर्ष 2007–08 में भुल्काय का विवरण	131
3.	छात्र कोशों की मदवार भुल्काय	
मैनुवल – बारह		
1.	सूचना भून्य	132
मैनुवल – तेरह		
1.	सूचना भून्य	133
मैनुवल – चौदह		
1.	इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना	134
मैनुवल पन्द्रह		
1	पुस्तकालय	135–136
मैनुवल – सोलह		
1.	लोक सूचना अधिकारी	137
मैनुवल – सत्रह		
1.	वर्ष 2008–09 के लिये प्रकाशित प्रोसपेक्ट्स	138–150

श्री गुरुराम राय (पी0जी0 कॉलेज, लकखी बाग, देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार, 2005 की धारा-2 (घ) (II) के अनुसार ऐसे गैर सरकारी संगठन को सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई विधियों से वित्त पोषित है, लोक अधिकारी परिभाषित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा - 4 (1) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अपने संगठन/संस्था की धारा 4 (1) की उपधारा ख के क्रम (I) से (XVII) में वर्णित सूचनायें जन सामान्य की जानकारी के लिए प्रकाशित करना और तदोपरान्त इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करना बाध्यकारी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दिये गये निर्देशानुसार और उच्च शिक्षा निदेशक उत्तराखण्ड के दिशा निर्देशों के अनुपालन में श्री गुरुरामराय (पी0जी0) कॉलेज देहरादून द्वारा निर्देशित सूचनाएं मैनुवल-एक से मैनुवल सत्रह में प्रकाशित की गई है।

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज के सूचना मैनुवल तैयार कराने में श्री बी0एस0 बिष्ट आशुलिपिक का सराहनीय योगदान रहा है, जिसके लिये वह प्रशंसा के पात्र हैं।

प्रौ0 वी0ए0 बौड़ाई
प्राचार्य

सूचना मैनुवल

{सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4(1) (ख)}

मैनुवल – एक

से

मैनुवल – सत्रह

श्री गुरु राम राय (पी0जी0) कॉलेज,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष-0135-2624881, फ़ैक्स : 0135-2624881